भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4744
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता

4744. श्री नीरज मौर्यः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित परीक्षण और सुधार उपायों के संबंध में एक नई कार्य प्रक्रिया जारी की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और शाहजहाँपुर जिलों में जेजेएम के अंतर्गत घरों में आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से ग्रामीण परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता की नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जेजेएम निधि के 2% तक का उपयोग जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं, जिनमें प्रयोगशाला स्थापना, उपकरण और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल गुणवत्ता का परीक्षण, रिपोर्ट और निगरानी करने में सक्षम बनाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जल गुणवत्ता परीक्षण का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। भारत में 2,811 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जो मामूली दरों पर जनता के लिए सुलभ हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए दिसंबर 2024 में पाइपगत पेयजल गुणवत्ता की निगरानी संबंधी एक पुस्तिका जारी की गई थी, जिसमें घरेलू स्तर सहित स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण बिंदुओं पर व्यापक परीक्षण की सिफारिश की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों के परिवारों सहित सभी परिवारों को आपूर्ति किया जाने वाला जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

*****